

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

**न्यायालय उपायुक्त, राँची**

विविध वाद सं० 01/2022-23

13  
10.4.23

श्रीमति सुशीला एस० तिर्की पति नोरवत तिर्की, जाति- उरांव, पेशा गृहिणी, धर्म-ईसाई, निवास स्थान मकान नं० 1581, शान्तिनगर, भुइयां टोली, सामलौंग, पोस्ट एवं थाना-नामकुम, जिला-राँची, झारखण्ड

..... आवेदिका

बनाम

विपिन चन्द्र मिश्रा, पिता चंद्र भूषण मिश्रा, निवास स्थान सुकुरहुटु थाना कांके, जिला- राँची, निदेशक, SHRISTI PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED- Corporate Identity No- U22210/2013PTC001636, dt. 25/9/2013 निबंधित कार्यालय- दुकान सं०-13 पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, राँची, थाना कोतवाली, जिला-राँची

..... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदिका द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत दायर आवेदन के आधार पर आरम्भ किय गया है। आवेदक ने मौजा नगड़ी, थाना सं०-53, थाना-कांके, जिला-राँची, स्थित खाता न०-270, प्लॉट न०- 126, रकबा 66 डिसमिल भूमि को विपक्षी विपिन चन्द्र मिश्रा, पिता चंद्र भूषण मिश्रा, निवास स्थान सुकुरहुटु थाना कांके, जिला- राँची, निदेशक, SHRISTI PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED- Corporate Identity No- U22210/2013PTC001636, dt. 25/9/2013 निबंधित कार्यालय- दुकान सं०-13 पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, राँची, थाना कोतवाली, जिला-राँची के पक्ष में प्रिन्टर्स छपाई उद्योग की स्थापना एवं संचालन के निमित्त हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए याचना की है।

आवेदक की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता के अनुसार:-

मौजा नगड़ी, थाना सं०-53, थाना- कांके, जिला-राँची, स्थित खाता न०-270, प्लॉट न०-126, रकबा 66 डिसमिल जमीन आवेदिका की खरीदगी भूमि है जो आर०एस० खतियान में सकुरा उराँव वैगरह के नाम से बकास्त भुईहरी पहनई दर्ज है। उपरोक्त भूमि आवेदिका ने शेख मौलउद्दीन वगैरह द्वारा वर्ष 1980 में निष्पादित निबंधित पट्टा सं०

अनुसूची 14 - फारम सं० 563

देश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 2 :-

168/1980 द्वारा प्राप्त किया है। आवेदिका उक्त भूमि को खरीदने के पश्चात् अंचल कार्यालय कांके से दाखिल खारिज कराकर प्रति वर्ष सरकारी लगान रसीद प्राप्त करती चली आती है। उक्त भूमि की जमाबंदी आवेदिका के नाम से पंजी-॥ के भोल्यूम ॥ पृ० सं० 37 में दर्ज है।

आवेदिका को को अपने निजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पैसे की आवश्यकता है, इसलिए वे अपनी भूमि विपक्षी को हस्तांतरित करना चाहती है। आवेदिका के पास उपरोक्त भूमि के विक्रय के पश्चात् अपने जीवनयापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

प्रस्तुत वाद में उपरोक्त आवेदिका ने शपथ पत्र पर अपना- अपना ब्यान दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने घोषणा किया है कि अपने निजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पैसे की आवश्यकता है, इसलिए वे अपनी भूमि विपक्षी को हस्तांतरित करना चाहती है। आवेदित भूमि पर उनका शांतिपूर्ण नियंत्रण एवं स्वामित्व है।

अंचल अधिकारी, काँके, राँची ने पत्रांक 1213 (ii) दिनांक 23.07.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी, काँके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि बकास्त भुईहरी पहनई भूमि है, जिसका नाम जमींदार बुदुआ उराँव वैगरह है। आवेदक ने उपरोक्त भूमि केवाला से प्राप्त किया है तथा दा०खा० वाद सं० 74 आर० 27/1980-81 द्वारा उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पंजी ॥ में आवेदक के नाम से कायम है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख में मौजूद अंचलाधिकारी काँके द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन एवं विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता, राँची द्वारा प्रेषित मन्तव्य का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि मौजा नगड़ी, थाना सं०-53, थाना-काँके, जिला-राँची, स्थित खाता न०-270, प्लॉट न०- 126, रकबा 66 डिसमिल भूमि आर०एस० खतियान में सकुरा उराँव वैगरह के नाम से बकास्त भुईहरी पहनई दर्ज है, जिसे आवेदिका ने निबंधित पट्टा सं० 168/1980 द्वारा प्राप्त किया है। आवेदिका उक्त भूमि को खरीदने के पश्चात् अंचल कार्यालय काँके से दा०खा० वाद सं० 74 आर० 27/1980-81 द्वारा नामान्तरण कराकर प्रति वर्ष सरकारी लगान रसीद प्राप्त करती चली आती है। उक्त भूमि की जमाबंदी आवेदिका के नाम से पंजी-॥ के भोल्यूम ॥ पृ० सं० 37 में दर्ज



अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 3 :-

है। आवेदिका द्वारा दायर शपथपत्र के अनुसार उन्हे रूपये की अति आवश्यकता है एवं बिना भूमि बिक्री किये रूपये मिलना कठिन है।

अतः आवेदको को अपनी निम्नलिखित भूमि निबंधित विक्रय विलेख के माध्यम से विपक्षी विपिन चन्द्र मिश्रा, पिता चंद्र भूषण मिश्रा, निवास स्थान सुकुरडू, थाना कांके, जिला- राँची, निदेशक, SHRISTI PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED- Corporate Identity No- U22210/2013PTC001636, dt. 25/9/2013 निबंधित कार्यालय-दुकान सं०-13 पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, राँची, थाना कोतवाली, जिला-राँची के पक्ष में प्रिंटिंग एवं छपाई उद्योग की स्थापना एवं संचालन के निमित्त रू० 21,207/- (रूपया इक्कीस हजार दो सौ सात मात्र) प्रति डिसमिल की दर या आवेदक द्वारा तय की गई दर से (जो भी अधिक हो) हस्तांतरित करने की अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है:-

ग्राम एवं थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नगडी थाना काँके	53	270	126	0.66 ए०
कुल रकबा				0.66 एकड
छियासठ डिसमील				

(इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार)

आवेदक निबंधित विक्रय विलेख के निष्पदान के पूर्व विलेख की एक प्रति उसमें वर्णित हस्तांतरण के शर्तों पर सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करेंगे।

विपक्षी अपने हक एवं हिस्से की उपरोक्त भूमि विपक्षी विपिन चन्द्र मिश्रा, पिता चंद्र भूषण मिश्रा, निवास स्थान सुकुरहुटु थाना कांके, जिला- राँची, निदेशक, SHRISTI PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED- Corporate Identity No- U22210/2013PTC001636, dt. 25/9/2013 निबंधित कार्यालय- दुकान सं०-13 पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, राँची, थाना कोतवाली, जिला-राँची को प्रिंटिंग एवं छपाई उद्योग निर्माण एवं संचालन हेतु करेंगे, अन्यथा यह भूमि आवेदकगण को वापस कर दी

3

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
------------------------------------	--------------------------------	--

1

2


3


-: 4 :-

जाएगी।

इस आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

लेखापित एवं संशोधित

  
उपायुक्त  
राँची

  
उपायुक्त  
राँची

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त, राँची  
अनुसूचि  
विविध वाद सं० 01/2022-23

श्रीमति सुशीला एस० तिर्की पति नोरवत तिर्की, जाति- उरांव, पेशा गृहिणी,  
धर्म-ईसाई, निवास स्थान मकान नं० 1581, शान्तिनगर, भुइयां टोली, सामलौंग,  
पोस्ट एवं थाना-नामकुम, जिला-राँची, झारखण्ड ..... आवेदिका


बनाम


विपिन चन्द्र मिश्रा, पिता चंद्र भूषण मिश्रा, निवास स्थान सुकुरहुटु, थाना कांके,  
जिला-राँची, निदेशक, SHRISTI PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED-  
Corporate Identity No- U22210/2013PTC001636, dt. 25/9/2013 निबंधित  
कार्यालय- दुकान सं०-13 पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, राँची, थाना  
कोतवाली, जिला-राँची ..... विपक्षी

छोटनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त वर्णित आवेदक द्वारा विपक्षी विपिन चन्द्र मिश्रा,  
पिता चंद्र भूषण मिश्रा, निवास स्थान सुकुरहुटु, थाना कांके, जिला-राँची,  
निदेशक, SHRISTI PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED- Corporate  
Identity No- U22210/2013PTC001636, dt. 25/9/2013 निबंधित कार्यालय-  
दुकान सं०-13 पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, राँची, थाना कोतवाली,  
जिला-राँची के पक्ष में निम्नांकित भूमि को रू० 21,207/- (रुपया इक्कीस  
हजार दो सौ सात मात्र) प्रति डिसमिल की दर से या आवेदक द्वारा तय की  
गई दर से (जो भी अधिक हो) इस वाद में पारित आदेश में वर्णित शर्तों पर  
हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

ग्राम एवं थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नगडी थाना काँके	53	270	126	0.66 ए०
कुल रकबा				0.66 एकड़
छियासठ डिसमील				

लेखपित एवं संशोधित

  
उपायुक्त  
राँची

  
उपायुक्त  
राँची

केस का सं० ओर तारिख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

4

**न्यायालय उपायुक्त, राँची।**

**विविध वाद सं०-01/2022-23**

22.05.2023

श्रीमती सुशीला एस० तिकी, पति-नोरवत तिकी, निवासी मकान सं०-1581  
शान्तिनगर भूर्इयांटोली, सामलौंग, पोस्ट+थाना-नामकुम, जिला-राँची।

..... आवेदक

बनाम्

विपीन चन्द मिश्रा, पिता-चन्द्रभूषण मिश्रा, निवास स्थान-सुकुरहुट्ट,  
थाना-काँके, जिला-राँची, निदेशक Shristi Print Media Private Limited  
Corporate Identity No-U22210JH2013PTC001636 निबंधित कार्यालय  
दुकान सं०-13 पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, राँची, थाना-कोतवाली,  
जिला-राँची

..... विपक्षी

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से निबंधन के पूर्व पट्टा  
(Deed) का प्रारूप दाखिल किया गया। अवलोकन किया। प्रारूप विलेख में  
दिनांक-10.04.2023 को पारित आदेश के आलोक में दिये गये शर्तों के  
आधार पर बिक्री करने की लिखित सहमति दी जाती है। आदेश की प्रति एवं  
पट्टा (Deed) का प्रारूप की छायाप्रति के साथ संबंधित जिला अवर निबंधक,  
राँची को भेज दी जाय।

अभिलेख की कार्रवाई इसके साथ ही समाप्त की जाती है।

  
उपायुक्त,  
राँची।